न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–4400–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–11–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त पिपरई तहसील पिपरई जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक–61 अ'–12/2015–16

.....

रबिन्द्र कुमार राय पुत्र भगवानदासराय
निवासी पिपरई तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– घनश्यम पुत्र दमरूलाल
2– लक्ष्मण पुत्र दमरूलाल
3– सुश्री कमला वाई पुत्री दमरू लाल
सभी निवासी पिपरई तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश
4– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर ———अनावेदकगण

.....

श्री जी0पी0नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 01/06/2017 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त पिपरई तहसील पिपरई जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक–61 अ'–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–11–16 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने राजस्व निरीक्षक पिपरई तहसील पिपरई को आवेदन प्रस्तुत कर उनके स्वामित्व की ग्राम बरोला स्थिति भूमि सर्वे कमांक 282/1 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के सीमांकन की प्रार्थना की। राजस्व निरीक्षक वृत्त पिपरई तहसील पिपरई ने प्रकरण कमांक 61 अ 12/15–16 पंजीबद्व किया तथा सीमांकन कार्यवाही कराते हुये आदेश दिनांक 11–11–16 पारित किया तथा सीमांकन दिनॉक 9–11–16 को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक एंव उनके परिजनों के नाम ग्राम बरौला में भूमि सर्वे नंबर 293 एंव 294 है जो वादग्रस्त भूमि से लगी हुई है यह सर्वे नंबर आपस में मेढ़ होकर लगे हुये है जिन पर पूर्वजों के जमाने से अपनी अपनी भूमि पर खेती होती आ रही है किन्तु अनावेदकगण ने राजस्व निरीक्षक पिपरई से कब चुपचाप सीमांकन की कार्यवाही कराली , आवेदक के मेढ़िया कास्तकार होते हुये खबर तक नहीं लगने दी। सीमांकन रिपोर्ट सही नहीं है क्योंकि सीमांकन 9–11–16 को करना बताया गया है जबकि माह नवम्बर में बोई गई फसल के उपर सीमांकन नहीं होता है । मौके पर खेत में गेहूँ की फसल खड़ी थी , तब ऐसे एकपक्षीय सीमांकन को अंतिम रूप देने में एंव आवेदकगण के मेढ़िया कास्तकार होते हुये सूचना दिये बिना सीमांकन कार्यवाही गलत की गई है इसलिये राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दी है तथा ग्रामवासियों के समक्ष सीमांकन किया है इसलिये सीमांकन सही है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 9–11–16 को सीमांकन करके मौके का पंचनामा बनाया है । विचार योग्य है कि माह नवम्बर में फसल बुआई हो जाती है तथा खड़ी फसल पर सीमांकन करना संदेह उत्पन्न करता

है । संहिता की धारा 129 में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी कास्तकार की भूमि का सीमांकन करने के पूर्व समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दी जावेगी, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में आवेदक अथवा उसके परिजनों को व्यक्ति सूचना दिये जाने की पुष्टि नहीं होती है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन की कार्यवाही संदेहास्पद है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त पिपरई तहसील पिपरई जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक—61 अ'—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 11—11—16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन कराने के पूर्व सभी मेढ़िया कास्तकारों को विधिवत् सूचना जारी करावें तथा अधीक्षक/सहा0अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन संपन्न कराकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,